

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV(4)/2018-03(02)/2018

देहरादून : दिनांक 04 अप्रैल, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अनुपालन में प्रदेश में उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत समूह 'क' के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु उक्त अधिनियम की धारा-16 (1) के अन्तर्गत निम्नानुसार स्थानान्तरण समिति का गठन किया जाता है-

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन - अध्यक्ष
2. अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन - सदस्य
3. श्री बृजेश कुमार संत, अपर सचिव, उत्तराखण्ड परिवहन निगम - सदस्य (कार्मिक विभाग द्वारा नामित)
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी (नैनीताल) - सदस्य

(डॉ० रणवीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 56) (1)/ XXIV(4)/2018-03(02)/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव-अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव-अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री बृजेश कुमार संत, अपर सचिव, उत्तराखण्ड परिवहन निगम।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
1/1/18
(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव